

प्रेस विज्ञप्ति

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज, दिनांक मार्च, 2023

!!□ आज दिनांक 01.03.2023 को पुलिस अधीक्षक महाराजगंज श्री डॉ० कौस्तुभ के निर्देशन में जनपद महाराजगंज पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण!!

1. "मिशन शक्ति अभियान" के तहत नारी सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के प्रति बालिकाओं/महिलाओं में सशक्तिकरण व विश्वास का वातावरण बनाने के उद्देश्य से महाराजगंज पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर जाकर महिलाओं/बालिकाओं को किया गया जागरूक।

2. महाराजगंज पुलिस द्वारा बैंक, एटीएम, वित्तीय प्रतिष्ठान आदि की सघन चेकिंग कर आस-पास खड़े संदिग्ध व्यक्तियों/वाहनों की चेकिंग की गई।

3. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 123 वाहनों का चालान किया गया।

4. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में पुलिस अधिकारियों द्वारा कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत संभ्रांत व्यक्तियों, धर्मगुरुओं, कास्तकारों, किसानों के साथ थानों में शान्ति समिति की बैठके कर सौहार्दपूर्ण, स्वस्थ वातावरण बनाए रखने हेतु पराली न जलाने एवं अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी। तथा समस्त थानों प्रभारियों को उपरोक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 23 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151, तथा धारा-107/116 सीआरपीसी में 61 व्यक्ति को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

6. पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ०प्र० द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 33 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 110 जी० जा० फौ० में की गयी कार्यवाही। नियम विरुद्ध कार्य करने वाले 185 व्यक्ति के विरुद्ध धारा 34 पुलिस अधिनियम में की गयी कार्यवाही।

7. अबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. अभियुक्त विनोद साहनी पुत्र शिवबहादुर साहनी निवासी जमुहानी थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 40 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 32/23 धारा 60/63 अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

2. अभियुक्त विमाल साहनी पुत्र स्व० विशम्भर साहनी निवासी असुरैला टोला कुकेशर थाना परसामलिक जनपद महाराजगंज के कब्जे से 45 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 33/23 धारा 60/63 अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना फारेंदा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

अभियुक्त गायत्री देवी पत्नी रामदवल पटेल निवासी भारीवैसी थाना फारेंदा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 76/23 धारा 60(1)ख अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना भिटौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

1. अभियुक्त अयोध्या गुप्ता पुत्र चोकट निवासी शिकार पुर थाना भिटौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 18 शीशी अवैध नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 46/23 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

2. अभियुक्त विदेशी पुत्र स्व० अंती निवासी बावा खुर्द थाना भिटौली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 20 शीशी अवैध देशी शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 19/23 धारा 60(1) अबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना पुरन्दरपुर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- 1. अभियुक्त कमली पत्नी दूधनाथ निवासी सेमरहनी चन्दनपुर बेलहिया थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची अवैध शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 59/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया। 2. अभियुक्त गुजराती देवी पत्नी रामचन्द्र निवासी लेहडा टोला खुर्रमपुर थाना पुरन्दरपुर जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 60/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त गजानन पुत्र रमाशंकर निवासी मंगलपुर थाना बरगदवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 27/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

थाना श्यामदेउरवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त जयराम मद्देशिया पुत्र जग्गुलाल निवासी कस्बा परतावल थाना श्यामदेउरवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 14 पैकट बन्टी बबली कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 71/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

8. गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सिन्दुरियां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. सूरज शर्मा पुत्र बालगोविन्द निवासी जगदौर .2. पुनीत पुत्र सुरेश निवासी रामपरकला थाना सिन्दुरिया जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-निल/23 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही किया गया।

09. विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 15 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

***10. जनपद में 28/01.03.2023 को विभिन्न अपराधों में कुल- 32 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।**

11.आदेश- महाराजगंज पुलिस द्वारा शान्ति सुरक्षा, कानून व्यवस्था अपराध नियन्त्रण को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु समस्त क्षेत्राधिकारियों/थाना प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष/चौकी प्रभारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पैदल गश्त किया जायेगा ।